महत्वपूर्ण

संख्या– XXVII(1)/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 10 नवम्बर 2008

विषयः–राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर वेतन ऐरियर का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शासकीय कर्मचारियों के वेतनमानों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–29 के अनुसार दिनांक 1–1–2006 से दिनांक 31–8–2008 तक के पुनरीक्षित वेतनमानों में देय वेतन का अवशेष (वेतन ऐरियर) दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 40% के अवशेष का भुगतान वित्तीय वर्ष 2008–2009 में तथा द्वितीय किश्त के रूप में 60% के अवशेष का भुगतान 2009–2010 में किया जाना है।

वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्ष 2008–2009 के आय व्ययक में वेतन मद में की गयी बजट व्यवस्था में आसन्न कमी के दृष्टिगत प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से सभी प्रशासनिक विभागों से प्रस्ताव मांगे गये हैं। सामान्यतः वेतनमानों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप बजट में प्राविधानित धनराशि वेतन एवं वेतन ऐरियर के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं होगी। अतः जब तक अनुपूरक मांगों या बचतों के पुनर्विनियोग के माध्यम से वेतन

के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वर्ष 2008–09 में देय वेतन के 40% के अवशेष का भुगतान किसी भी दशा में न किया जाए। प्रथमतः सरकारी सेवक के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का आहरण एवं भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जब वेतन मद में मूल बजट प्राविधान तथा अनुपूरक मांगों के माध्यम से की गयी बजट व्यवस्था के योग के सापेक्ष धनराशि में बचत हो तभी 40% के वेतन ऐरियर के भुगतान हेतु आयकर धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2– उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या–757/XXVII(1)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2–समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3–समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
4–उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5–तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय एकक देहरादून।

आज्ञा से,

10/11/2008

(एल0एम0पंत)
सचिव